



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 30 जून, 2020  
आषाढ़ 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या-15/2020/1017/सात-न्याय-2-2020-58जी-2001  
लखनऊ, 30 जून, 2020

### अधिसूचना

प० आ०-139

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 66 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की सहमति से, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित कुटुम्ब न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करती हैं :

### अनुसूची

क्र०सं०	जिला का नाम	अधिकारी का नाम और उनका वर्तमान पदनाम	यथा प्रस्तावित
1	2	3	4
1	कानपुर नगर	श्री आशीष कुमार चौरसिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश
2	सीतापुर	डा० श्रीमती जया पाठक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	अपर प्रधान न्यायाधीश

आज्ञा से,  
जे०पी० सिंह-II,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 15/2020/1017/VII-Nyay-2-2020-58G-2001, dated June 30, 2020:

No. 15/2020/1017/VII-Nyay-2-2020-58G-2001  
Dated Lucknow, June 30, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Family Courts Act, 1984 (Act no. 66 of 1984) the Governor with the concurrence of the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to appoint the additional District and Sessions Judge mentioned in Column-3 of the Schedule below as the Principal Judge of the Family Court mentioned against each in Column-4 of the said Schedule with effect from the date of their taking over charge of their respective office.

**SCHEDULE**

Sl No.	Name of District	Name of the officer and their present designation	Proposed as
1	2	3	4
1	Kanpur Nagar	Sri Ashish Kumar Chaurasia, ADJ	Additional Principal Judge
2	Sitapur	Dr. Smt. Jaya Pathak, ADJ	Additional Principal Judge

By order,  
J.P. SINGH-II,  
Pramukh Sachiv.